संख्या- 95/2017/1936/71-1-2017-जी-210/2016

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 31 जुलाई, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर हेतु उपकरणों के क्रय हेतु सूची के संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2017/295, दिनॉक 16-07-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-144/2016/1489/71-1-2016-जी-210/2016, दिनॉक 30-06-2016 द्वारा मेडिकल कालेज, गोरखपुर हेतु निम्नांकित उपकरणों के क्रय हेतु सूची अनुमोदित करते हुए वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी है:-

क्र0	शासनादेश दिनॉक 30-06-2016 में अंकित सूची का क्रमांक	उपकरण का नाम	विभाग का नाम	मात्रा	धनराशि
1	2	वीडियो कोलोनोस्कोप विद प्रोसेसर	मेडिसिन	01	20,00,000.00
2	2	ई0ई0जी0 विद एन0सी0वी0, ई0एम0जी0 मशीन	मेडिसिन	01	5,00,000.00
3	10	आटोप्सी आक्सीलैटिंग सॉ (इम्पोर्टेड)	फोरेन्सिक मेडिसिन	01	1,69,000.00
4	12	बैलेन्स माइक्रो	बायोकेमिस्ट्री	01	2,50,000.00
			योग	04	29,19,000.00

2- आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनॉक 16-07-2017 में उक्त उपकरणों के स्थान पर बाल रोग विभाग के अन्तर्गत न्यू बार्न बेबी के उपचार हेतु रेडियन्ट वार्मर की आवश्यकता बताते हुए रेडियन्ट वार्मर उपकरण क्रय करने की अनुमति प्रदान किए जाने के अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दिनॉक 30-06-2017 द्वारा अनुमोदित उक्त उपकरण, जिनका विवरण प्रस्तर-1 में अंकित है, को शासनादेश दिनॉक 30-06-2017 की सूची से निरस्त करते हुए उसके स्थान पर निम्न उपकरण अनुमोदित करते हुए वर्तमान में प्रचलित सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत निविदा आदि की कार्यवाही करते हुए उक्त उपकरणों के क्रय किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

क्र0	उपकरण का नाम	क्रय मात्रा	प्रति नग अनुमानित मूल्य	धनराशि
1	रेडियन्ट वार्मर	33	85000.00	28,05,000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- शासनादेश संख्या-144/2016/1489/71-1-2016-जी-210/2016, दिनॉक 30-06-2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीया,

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव

संख्या:- 95/2017/1936(1)/71-1-2017 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
6- नियोजन-अनुभाग-4
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।